पेट्रोल पंप पर वाहन की डिक्की से उड़ाए थे पांच लाख रुपए

परिचित ब्रोकर के साथी को लूटने वाले 3 बदमाश धराए

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

परिचित ब्रोकर के साथी को लूटने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। बदमाशों ने सात दिन पहले पेट्रोल पंप पर वाहन की डिक्की से पांच लाख रुपए निकाल लिए थे।

क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि घटना 28 फरवरी की है। फरियादी सुनील पिता पूनमचन्द शर्मा निवासी ब्रजनयनी कॉलोनी लिम्बोदी ने छोटी ग्वालटोली थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह दीपक पिता धीरज सिंह भामी के साथ प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता है। घटना वाले दिन वह दीपक से 5 लाख रुपए लेकर किसी महेन्द्र नामक युवक को नवलखा चौराहा पर देने आया था। उसने यह राशि एक्टिवा की डिक्की में रखी थी। थाना अंतर्गत वह आनन्द पेट्रोल पंप पर रुका था। उसके पीछे बाइक पर दो युवक खड़े थे। पेट्रोल भराने जैसे ही डिक्की खोली, बदमाशों ने धक्का देकर गिरा दिया और रुपयों से भरा बैग ले गए।

ऐसे रची थी साजिश

पुलिस के मुताबिक, आरोपी धीरज फरियादी सुनील और दीपक को जानता है। उसे पता था कि दीपक के पास लेनदेन का काफी पैसा रहता है। वह घटना वाले दिन दीपक के साथ कार में घूम रहा था। दीपक लगातार मोबाइल पर सुनील से पैसे को लेकर बात कर रहा था। इसी के चलते वह अपने साथियों को सुनील की लोकेशन बताता रहा। धीरज ने अपने मित्र अमीन एवं अजय के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। जैसे ही सुनील पैसे लेकर निकला, आरोपी भी उसके पीछे निकल गए। घटनास्थल पर वारदात कारित करने वह भी पंप पर रुके और पैसे लेकर भाग निकले। बदमाशों से 2 लाख 47 हजार रुपए जब्त हुए हैं। शेष राशि बदमाश खर्च करना बता रहे हैं।

कैमरे के फुटेज से मिला बदमाश का सुराग

घटना के बाद तत्काल पुलिस की टीम पेट्रोल पंप पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और बदमाशों के वाहन का रूट चेक किया। इसमें दो संदिग्ध बदमाश वारदात करते नजर आए। बदमाशों को पकड़ने पुलिस ने टीम गठित कर मुखबीर सक्रिय किए। मुखबीर की सूचना पर वारदात करने वाले धीरज उर्फ चिंटू बागवान निवासी कबीरपुर हाटपिपलिया जिला देवास, अमीन शेख निवासी शेरवानी चौक हाटपिपलिया देवास तथा अजय चौहान निवासी ग्राम खजूरिया हाटपिपलिया को पकड़ा।

पुलिस ने किया था इनकार

28 फरवरी को ही कनाड़िया थाना क्षेत्र में भी लूट की वारदात हुई थी। छोटी ग्वालटोली थाने में जब घटना को लेकर मीडिया ने पूछा तो थाना प्रभारी उमेश यादव, सहायक पुलिस आयुक्त तुषारसिंह ने रिपोर्ट दर्ज नहीं होने का हवाला दिया था, जबकि घटना के चंद मिनट बाद ही फुटेज में आए हुलिए के आधार पर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने नाकाबंदी कर दी थी।

बहनोई को मारा चाकू

इंदौर। पारिवारिक विवाद के चलते बहनोई को चाकू मारकर घायल कर दिया। मामला खजराना थाना क्षेत्र का है। घायल युवक का नाम जावेद अली पिता नूर अली निवासी तंजीम नगर है। जावेद की शिकायत पर पुलिस ने उसके साले अकबर और रईस पर केस दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि वह घर आने में लेट हो गया था। इस बात को लेकर पत्नी ने विवाद कर लिया। उसने पत्नी को डांट दिया। नाराज होकर पत्नी मायके गई और अपने भाइयों से पति की शिकायत कर दी थी। आरोपी ने बहनोई को सबक सिखाने मारपीट की।

किराए पर दी कार नहीं लौटाई

इंदौर। मासिक किराए पर दी कार बदमाश ने नहीं लौटाई। फरियादी भारत मारिया निवासी अर्जुनसिंह गौहर नगर परदेशीपुरा ने आरोपी रविसिंह पिता राजेशसिंह बघेल निवासी कृष्ण रेजीडेंसी को कार को 18,000 रुपए माह किराए पर दी थी। रवि सिंह ने 3 महीने पहले गाड़ी ली थी। कार लेने के बाद अब तक कोई किराया नहीं चुकाया। कार भी नहीं लौटाई।

हाईलिंक सिटी में हुए अंधेकत्ल का छह घंटे में खुलासा, चार गिरफ्तार

महिला मित्र को परेशान करने वाले को लखनऊ से बुलाकर मारा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

एरोड्रम थाना क्षेत्र के हाईलिंक सिटी क्षेत्र में हुए अंधेकत्ल का पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा कर दिया। घटना को अंजाम देने वाले चार बदमाशों को पकड़ लिया। मुख्य आरोपी ने महिला मित्र को परेशान करने वाले युवक को लखनऊ से बुलाया था। युवक इंदौर आया तभी उसकी हत्या कर लाश झाड़ियों में फेंक दी थी। टीआई राजेश साहू को सोमवार रात 10.30 बजे सूचना मिली कि बाबाश्री गार्डन के पीछे झाड़ियों में खून से सना अज्ञात युवक का शव और बैग पड़ा है। तत्काल मौके पर पुलिस और एफएसएल टीम पहुंची। शव बरामद कर पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने आसपास के रहवासियों, चौकीदारों तथा राहगीरों से पूछताछ कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। परिणामस्वरूप मात्र 6 घंटे में घटना को अंजाम देने बाले अंश यादव निवासी बाबू मुराई कॉलोनी सहित तीन नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया।

चाकू और ब्लेड से किया वार : महिला के बुलाए स्थान पर जैसे ही तौकिर आया, आरोपी अंश ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू व ब्लेड से वार किए। हत्या के बाद मृतक का मोबाइल, पहचान पत्र और पर्स सहित लाश को वहीं बगल में 100 मीटर दूरी स्थित झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक का मोबाइल फ्लाइट मोड पर कर दिया था, ताकि पकड़ में न आ सके, लेकिन पुलिस की तत्परता से आरोपी की योजना विफल हो गई।

वाट्सएप से हुई थी दोस्ती

पूछताछ में आरोपी अंश के मुताबिक, उसकी महिला मित्र ने उसे दो दिन पूर्व बताया था कि लखनऊ में रहने वाले तौकिर अहमद से वाट्सएप पर चेटिंग से दोस्ती हो गई थी। वह युवक आरोपी की महिला मित्र को परेशान कर रहा था और मिलने के लिए बुलाता रहता था। इससे परेशान होकर अंश ने अपने छोटे भाई व दो अन्य नाबालिगों के साथ मिलकर तौकिर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। योजना के मुताबिक महिला मित्र ने मृतक (लखनऊ के युवक) को मिलने का झांसा देकर इंदौर बुलाया। तौकिर उक्त महिला से मिलने सोमवार रात इंदौर आया।

‘काम तो हर कोई करता है, आप कारनामे करो’

सोशल मीडिया पर लहराया चाकू और पिस्टल, अब पहुंचा सलाखों के पीछे

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

‘सावधान रहो, आगे हमला हो सकता है। काम तो हर कोई करता है आप कारनामे करो। धन भी रखते हैं, गन भी रखते हैं। सुन बेटा, थोड़ा बचके रइयो। बदमाशी नहीं, पैसा कमाने की इच्छा है और यही मेरे गुरु नाखून वाले बापू की शिक्षा है।’ जैसे मैसेज सोशल मीडिया पर चाकू और पिस्टल लहराते हुए लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से बदमाश ने लिखे थे। इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद बदमाश को क्राइम ब्रांच ने पकड़कर सबक सिखाते हुए सलाखों के पीछे धकेल दिया है।

बता दें क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखी हुई है। सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने बदमाश कई बार ऐसे मैसेज वायरल कर देते हैं, जो समाज हित में नहीं होते। पुलिस ने लोकेश पिता मुकेश नाथ धारे निवासी न्यू सूर्यदेव नगर को पकड़ा। बदमाश ने पूछताछ में बताया कि जिस गन का वीडियो वायरल हुआ है, वह नकली थी।

लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया था। बदमाश पर 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है।

तीन पोकलेन मशीनें और चार डंपरों को किया जब्त

अवैध मुरम उत्खनन करने पर हुई बड़ी कार्रवाई

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

ग्राम माचला में अवैध उत्खनन की शिकायत पर एसडीएम राऊ विनोद राठौर, तहसीलदार राऊ, नायब तहसीलदार व अन्य राजस्व अमले द्वारा ग्राम माचला स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 248 के विभिन्न पैकि रकबों पर अवैध मुरम उत्खनन करते हुए तीन पोकलेन मशीनों को पकड़ा गया।

एसडीएम राऊ विनोद राठौर ने बताया कि इसमें से एक पोकलेन मशीन सन्नी जाट निवासी दूधिया तथा दो पोकलेन मशीनें राजेश मुकाती निवासी पीपल्दा द्वारा संचालित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। मौके पर से मुरम से भरा एक डंपर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया। तीन अन्य डंपर अवैध उत्खनन में सहयोग करते हुए पकड़े गए हैं। मौके पर खनिज विभाग इंदौर की टीम को बुलाया गया व तीन पोकलेन मशीनों व चार डंपरों की सुपुर्दगी खनिज विभाग की ओर से सहायक खनिज अधिकारी जयदीप नामदेव को देकर जब्त कराया गया। अवैध उत्खनन की गई भूमि और क्षेत्रफल का आकलन किया जा रहा है, ताकि अवैध उत्खनन की दंड की राशि का आकलन किया जा सके।

कार गैरेज और रूई गोदाम में लगी आग

इंदौर। शहर में सोमवार-मंगलवार रात कार गैरेज और रूई गोदाम में आग लग गई। इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। पहली घटना बेटमा रोड की है। यहां मोहम्मद यूसुफ का इंडियन ऑटो कार गैरेज है। मंगलवार रात करीब 3 बजे आग लग गई। तत्काल आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने 10 हजार लीटर पानी से आग पर काबू पाया। आग में 5 कारें जल गईं। कुछ दिन पहले छोटी खजरानी में कार गैरेज में 12 वाहन जल गए थे। दूसरी घटना मांगलिया की है। यहां पालीवाल कंपाउंड में रूई के गोदाम हैं। एक गोदाम में देर रात अग्निकांड हुआ था। आग से रूई की 88 बड़ी गठानें जल गईं। आग बुझाने में 20 हजार लीटर पानी का उपयोग किया गया।

मायके में रह रही महिला को मारे चाकू, अवैध संबंध के कारण चल रहा था विवाद

इंदौर। पति के अवैध संबंध की भनक लगने से महिला अपने बेटे के साथ मायके में रह रही थी। सोमवार को बेटे के साथ सब्जी खरीदने गई तो पति ने गले के पास चाकू मारकर घायल कर दिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। बाणगंगा पुलिस को फरियादी रेखा परिहार ने बताया कि वह एक साल से पति राजेश के घर पर नहीं रहती है। राजेश प्राइवेट नौकरी है। पति के कुछ महिलाओं से अवैध संबंध हैं। जब उसने पति से इस बारे में बात की तो उसने मारपीट की थी। मारपीट से तंग आकर मैं मायके में रहने लगी। बाजार में पति ने मुझे देखा और कहा कि वापस मेरे साथ चलो। जब मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो तैश में आकर उसने मुझे चाकू मार दिया और भाग निकला। मामले में पुलिस ने आरोपी पर प्राणघातक हमले का केस दर्ज कर लिया है।

JM FINANCIAL
जेएम फायनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कार्पोरेट आइडेंटिफाई नम्बर: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत ऑफिस : 7वीं मंजिल, चेर्गी, अप्पासाहेब मराठा मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400 025,
संपर्क व्यक्ति: 1. गौरव श्रीवास्तव-9479942515, 2. विशाल केतेले-9584966653 3. सिंदुजा पिल्लई-022-62241676
Website- www.jmfinancialarc.com
ई-नीलामी बिक्री सूचना-आगामी बिक्री

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज के साथ अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। वित्तीय संपत्तियों और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ("असाइनमेंट एग्रीमेंट") के माध्यम से जेएमएफएआरसी (जेएम) (यहां असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में अपनी क्षमता से कार्य कर रहा है। JMFARC-अरण्य-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में। सूचित किया जाता है कि PCHFL को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।
उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, अचल संपत्ति की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि यहां बताया गया है, जो भौतिक कब्जे में है, 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो है वह है के आधार पर', जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/ऋणी(यो)/ सह ऋणी (यो)/ जमानतदार(यो)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अंतिम संपत्ति का पता	आरक्षित मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	कुल बकाया राशि (04-03-2024)
ऋण कोड नं. 00800015287 इंदौर (शाखा), जयप्रकाश त्रिवेदी (ऋणकर्ता), श्रद्धा त्रिवेदी (सह-ऋणकर्ता 1)	दिनांक: 18-08-2021, रु. 56,41,480/-, (छप्पन लाख इकतालीस हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र)	संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल की सीमा:- फ्लैट नंबर 202, प्लॉट नंबर 308, ब्लॉक- नंबर 10 अग्रवाल प्लाजा, दूसरी मंजिल राऊ, रंगवासा रोड इंदौर एमपी 453331 सीमाएं:- उत्तर: फ्लैट नंबर 201 दक्षिण: फ्लैट नंबर 203 पूर्व: राऊ रंगवासा रोड पश्चिम: आम मार्ग	रु. 12,40,000/- (रु. बारह लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 1,24,000/-, (रु. एक लाख चौबीस हजार मात्र)	रु. 52,85,892/-, (रुपये बावन लाख पचासी हजार आठ सौ बयानवे मात्र)

ई-नीलामी दिनांक : 16-04-2024, 11.00 से 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
बोली जमा करने की अंतिम तिथि-15-04-2024, 4 बजे से पहले
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale OR https://www.bankauction.in.
सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधक को वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना
उपरोक्त उल्लिखित ऋणी/गारंटर/एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पहले तक अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से करने के लिए देखा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बेचा जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा

दिनांक: 06.03.2024
स्थान: मप्र
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य-ट्रस्ट)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
विद्युत विभाग
E-mail: imcvidhyutvibhag@gmail.com
विज्ञप्ति क्र.: 55/23-24/
ई टेण्डर C.E/E&M
निविदा सूचना
दिनांक: 04/03/2024
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2024-UAD-341181 04-03-2024	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 16 के अंतर्गत स्कीम नं. 155 पॉवर हॉउस एवं टंकी वाले उद्यान में प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹6,91,658/-	₹2,000/- ₹6,950/-	18.03.2024 5:30 PM
2	2024-UAD-341165 04-03-2024	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 16 के अंतर्गत व्यंकटेश विहार हनुमान मंदिर उद्यान एवं स्मृति नगर शिव मंदिर उद्यान में टूटी हण्डियों को नवीन लगाये जाने बाबत्।	1 माह ₹3,78,722/-	₹2,000/- ₹3,800/-	18.03.2024 5:30 PM
3	2024-UAD-341202 04-03-2024	झोन क्रं. 04 के अंतर्गत विभिन्न उद्यानों की बंद लाईटों को चालू करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹3,42,160/-	₹2,000/- ₹3,500/-	18.03.2024 5:30 PM
4	2024-UAD-341154 04-03-2024	झोन क्रं. 01 वार्ड क्रं. 07 के अंतर्गत आर.ए.पी.टी.सी परिसर (तरंग तैराकी) में स्ट्रीट लाईट पोल एवं लाईट लगाकर प्रकाश व्यवस्था करना।	1 माह ₹3,58,985/-	₹2,000/- ₹3,600/-	18.03.2024 5:30 PM
5	2024-UAD-341224 04-03-2024	झोन क्रं. 16 वार्ड क्रं. 01 श्रीराम धर्मशाला सामुदायिक भवन एवं प्रागण में विद्युत वायरिंग/समुचित प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹2,73,689/-	₹2,000/- ₹2,700/-	18.03.2024 5:30 PM
6	2024-UAD-341122 04-03-2024	झोन क्रं. 01 वार्ड क्रं. 04 के अंतर्गत विभिन्न उद्यानों में समुचित प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य।	2 माह ₹17,31,146/-	₹2,000/- ₹13,000/-	04.04.2024 5:30 PM
7	2024-UAD-341208 04-03-2024	झोन क्रं. 08 वार्ड क्रं. 36 के अंतर्गत रिंग पोल एवं आकर्षक लाइट लगाने संबंधी कार्य।	2 माह ₹25,31,808/-	₹5,000/- ₹19,000/-	04.04.2024 5:30 PM

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
प्रतिबंधित पॉलीथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।
नगर शिल्पज्ञ
नगर पालिक निगम, इन्दौर

AU SMALL FINANCE BANK चलो आगे बढ़ें
एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001(CIN: L36911RJ1996PLC011381)
परिशिष्ट IV-A नियम 8(6) के लिए देखें
अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एंव पूनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तं व सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी विक्रय सूचना
आमजन को साधारणतया तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बन्धक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड(ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के नाम से ज्ञात जो कि आगे एयू एस एफ बी सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को ‘‘जैसे है जहाँ है’’ एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई–नीलामी द्वारा निम्न तालिका मेंदर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का व्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।
यह सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/ सह-ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनाक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि	ई-निविदा खोलने, जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
(ऋण खाता संख्या) L9001060717992876 गायत्री राठौड पुत्र धर्मेन्द्र राठौड (ऋणी), धर्मेन्द्र राठौड (सहऋणी)	15-मार्च-22 15,01,942/- पन्द्रह लाख एक हजार नौ सौ बयालीस रूपये मात्र 15-मार्च -22 तक	26-अक्टूबर -23	संपत्ति स्थित कस्बा सनावद, सर्वे नं. 50/6 (पेकी), प्लॉट नं. 02 (पूर्वी भाग), वार्ड नं. 17, जवाहर मार्ग, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के पास, तहसील सनावद, जिला खरगोन मप्र 451111 क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट	Rs. 11,50,000/- ग्यारह लाख पचास हजार रूपये मात्र	Rs. 1,15,000/- एक लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र	30 मार्च-2024 दोपहर 2 बजे से सांय 4 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल से	28-मार्च 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., शाखा कार्यालय: दुकान नं. सी-11, वार्ड नं. 09, राधा वल्लभ मार्केट, खरगोन 451001	अमित शर्मा एवं भानु प्रताप सिंह / 7247743814 9773358234 ई.मेल: auctions@aubank.in संपत्ति निरीक्षण दिनांक 25 मार्च 2024
(ऋण खाता संख्या) L9001060120699528 प्रीति पान सदन (ऋणी), देवेन्द्र भवसार पुत्र महेश चन्द्र (सहऋणी), दीपिका भवसार पुत्र देवेन्द्र भवसार (सहऋणी), जितेन्द्र भवसार पुत्र महेश चन्द्र भवसार (गारंटर)	10-अक्टूबर-22 13,11,682/- तेरह लाख ग्यारह हजार छः सौ बयासी रूपये मात्र 10-अक्टूबर -22 तक	24-जनवरी -24	संपत्ति स्थित दुकान नं. 03, वार्ड नं. 10, सेटलमेंट नं. 81, नगर पालिका बडवानी, जिला बडवानी, मप्र क्षेत्रफल 15.54 वर्गगज	Rs. 20,00,000/- बीस लाख रूपये मात्र	Rs. 2,00,000/- दो लाख रूपये मात्र	20 अपैल-2024 दोपहर 2 बजे से सांय 4 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल से	18-अप्रैल 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., शाखा कार्यालय: 98/10, भूतल, दकुंदिया पैलेस, अंजद रोड, बडवानी, मप्र 451551	अमित शर्मा एवं भानु प्रताप सिंह / 7247743814 9773358234 ई.मेल: auctions@aubank.in संपत्ति निरीक्षण दिनांक 15 अप्रैल 2024
(ऋण खाता संख्या) L9001060819845478 & L9001060700058371 मिथलेश जैन पुत्र महेन्द्र जैन (ऋणी), महेन्द्र कुमार जैन पुत्र माणिकचन्द (सहऋणी), श्रीमती अश्विना जैन पत्नी मिथलेश जैन (सहऋणी), श्रीमती रतनेश जैन पत्नी महेन्द्र कुमार जैन (सहऋणी), श्रीमती दीपिका जैन पत्नी रतनेश जैन (सहऋणी), श्रीमती सरोज जैन पत्नी महेन्द्र कुमार (सहऋणी), मान सिंह सिसोदिया पुत्र रतन सिंह (गारंटर)	12-जनवरी-23 7,54,848/- सात लाख चौवन हजार आठ सौ अडतालीस बयासी रूपये मात्र एवं 10-जनवरी-23 18,54,921/- अठारह लाख चौवन हजार नौ सौ इक्कीस रूपये मात्र 10-जनवरी -23 तक	06-फरवरी -24	संपत्ति स्थित वार्ड नं. 06, मैन रोड, गोशाला रोड पंडित गली कस्बा सुसनेर, मोहल्ला पंडित गली, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर, मप्र 2925 वर्ग फीट	Rs. 30,50,000/- तीस लाख पचास हजार रूपये मात्र	Rs. 3,05,000/- तीन लाख पांच हजार रूपये मात्र	20 अपैल-2024 दोपहर 2 बजे से सांय 4 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल से	18-अप्रैल 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., शाखा कार्यालय: महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक कान्वेन्ट विद्यालय, प्रथम तल, महिन्द्र शोरूम, एबी रोड के सामने, शाजापुर, मप्र 465001	भानु प्रताप सिंह 9773358234 ई.मेल: auctions@aubank.in संपत्ति निरीक्षण दिनांक 15 अप्रैल 2024
(ऋण खाता संख्या) L9001060121494812 पवन बैरागी पुत्र नर सिंह दास (ऋणी), श्रीमती अनीता बैरागी पत्नी पवन बैरागी (सहऋणी), नरसिंह दास वैष्णव (सहऋणी)	15-दिसम्बर-22 8,31,932/- आठ लाख इकत्तीस हजार नौ सौ बत्तीस रूपये मात्र 13-दिसम्बर -22 तक	06-फरवरी -24	संपत्ति स्थित माताजी मंदिर के पास, खसरा नं. 186/1, ग्राम कोटडा बुजुर्ग, जिला मंदसौर, मप्र क्षेत्रफल 105 वर्गगज	Rs. 9,80,000/- नौ लाख अस्सी हजार रूपये मात्र	Rs. 98,000/- अठानवे हजार रूपये मात्र	20 अपैल-2024 दोपहर 2 बजे से सांय 4 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल से	18-अप्रैल 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., शाखा कार्यालय: एलीगेंट प्लाजा आशीर्वाद गार्डन के पास, रेल्वे स्टेशन रोड, मंदसौर, मप्र 458001	भानु प्रताप सिंह 9773358234 ई.मेल: auctions@aubank.in संपत्ति निरीक्षण दिनांक 15 अप्रैल 2024
(ऋण खाता संख्या) L9001060719713274 मोबिन खां पुत्र हामिद खां (ऋणी एवं बंधककर्ता), निलोफर बी पत्नी मोबिन खां (सहऋणी)	07-मई-21 7,73,075/- सात लाख तिहत्तर हजार पिचहत्तर रूपये मात्र 07-मई -21 तक	29-सितम्बर -23	संपत्ति स्थित प्लॉट नं. 83, ग्राम हाट पिपलिया, तहसील ज्वारा, जिला रतलाम, क्षेत्रफल 710 वर्ग फीट	Rs. 5,50,000/- पांच लाख पचास हजार रूपये मात्र	Rs. 55,000/- पचपन हजार रूपये मात्र	30 मार्च-2024 दोपहर 2 बजे से सांय 4 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल से	28-मार्च 2024 तक या इससे पहले	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि., शाखा कार्यालय: प्रथम तल, फ्रीगंज रोड, नैक्सा शोरूम के उपर, जिला रतलाम, मप्र 457001	अमित शर्मा एवं भानु प्रताप सिंह / 7247743814 9773358234 ई.मेल: auctions@aubank.in संपत्ति निरीक्षण दिनांक 25 मार्च 2024

ई–निलामी बिक्री के नियम और शर्ते:
1. बंधक परिसंपत्ति की ई–नीलामी बिक्री AUSFB सुरक्षित लेनदार द्वारा ‘‘जैसा है, जहां है,’’ जैसा है वैसा, ‘‘जो कुछ भी है और’’ नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्तसम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है।
2.ऑनलाइन ई–निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईमएडी के साथ, जो आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी के माध्यम से देय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड MSME AUCTION POOL ACCOUNT के नाम, चालू खाता संख्या 1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED पांचवी एवं छठी मंजिल, सनी बिग जंक्शन एसटीसी खसरा नं. 64 से 67, ग्राम सुखईपुरा, न्यू आतिश मार्केट जयपुर 302020 IFSC कोड : AUBL0002011 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लियाजा सकता है।आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी auctions@aubank.in पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नंबर भेजने की आवश्यकता होगी। 3. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई–निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in@bank.auction अवश्य देखें। और अधिक जानकारी के लिए श्री भानूप्रताप सिंह से संपर्क करें: 9358002663 औरई–मेल auctions@aubank.in
नोट:–यह सूचना पत्रऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 15 दिवस एवं 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।
दिनांक: 05.03.2024
स्थान: इन्दौर / मन्दसौर
प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड